बिहार सरकार

पर्यटन विभाग

प्रथम तल, बी० ब्लॉक, एक्सटेंशन भवन, मुख्य सचिवालय, पटना।

—: अल्पकालीन नीलामी सूचना :—

पर्यटन विभाग, बिहार, पटना के तीन सरकारी वाहनों, एक स्कार्पियो वाहन संख्या— BR01PA-3615 जो बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम (होटल कौटिल्य विहार, पटना) के वर्क शॉप में अवस्थित है, दूसरी स्कार्पियो वाहन संख्या BR01PA-1230 तथा तीसरी लोगान वाहन संख्या BR1AM-1323 जो बी० ब्लॉक, एक्सटेंशन भवन, मुख्य सचिवालय परिसर के पास अवस्थित है को निष्प्रयोजित किए जाने के आलोक में निम्न विवरण के वाहन ''जहाँ जैसी स्थिति में है उसी स्थिति में'' सार्वजनिक नीलामी दिनांक 23.02.2022 को पूर्वाह्न 11.30 बजे पर्यटन विभाग, प्रथम तल, बी० ब्लॉक, एक्सटेंशन भवन, मुख्य सचिवालय, पटना के कार्यालय प्रकोष्ठ में खुली डाक द्वारा की जायेगी।

क्र०	गाड़ी नम्बर	चेचीस न०	ईजन न०	माडल वर्ष	मोटरयान निरीक्षक द्वारा नीलामी हेतु न्यूनतम निर्धारित राशि(रू० में)
1	BR1AM-1323	MAILSFJH8ZJ29019	D034813	2008	85,000/—
2	BR01PA-3615	MAITA2HAN82L72332	HA84K22850	2009	1,25,000/—
3	BR01PA-1230	AITB2BSL82F82680	BS84F31534	2008	1,15,000/—

2. नीलामी के पूर्व प्रत्येक वाहन के लिए सुरक्षित जमा राशि 5,000/— (पॉच हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट DDO TOURISM DEPARTMENT, BIHAR, PATNA के नाम से रोकड़पाल के पास जमा करना होगा। उच्चतम बोली की स्थिति में गाड़ी के मूल्य में सुरक्षित जमा की राशि समायोजित कर ली जायेगी। असफलता की स्थिति में सुरक्षित जमा राशि नीलामी के निस्तारण के बाद संबंधित को नियमानुसार लौटा दी जायेगी।
3. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को अपना परिचय पत्र यथा आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि साथ लाना होगा।
4. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को परिचय पत्र एवं सुरक्षित जमा राशि को देखने के पश्चात ही नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जायेगी।
5. उच्चतम बोली की स्थिति में राशि तत्काल एक मुश्त पर्यटन विभाग में जमा करनी होगी। तत्पश्चात् उक्त वाहन हस्तगत करा दिया जायेगा। राशि जमा कर वाहन प्राप्त नहीं करने की स्थिति में सुरक्षित राशि जब्त कर ली जायेगी।
6. नीलामी को बिना कारण बताये स्थगित अथवा रदद करने एवं इसके संबंध में अंतिम निर्णय सचिव, पयर्टन विभाग, बिहार, पटना के पास सुरक्षित होगा।
7. बेवसाईट www.tourism.bihar.gov.in पर सुचना पट्ट का अवलोकन किया जा सकता है।
8. अल्पकालीन नीलामी में केवल कोविड टीका प्राप्त व्यक्तियों का प्रवेश ही अनुमान्य होगा एवं नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों को कोरोना गाईड लाईन का अनुपालन करना होगा।
9. यदि किसी अपरिहार्य कारण से उक्त तिथि नीलामी की कार्रवाई नही की जाती है तो उसके अगले दिन नीलामी की कारवाई की जायेगी।

सहायक निदेशक,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।